

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-48/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० (श्रीमती) अनुपमा कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा द्वारा दिनांक-02.02.2025 से 16.03.2025 तक उपभोगित अवकाश अवधि को निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है।

i.	दिनांक-02.02.2025 से 15.03.2025 तक	- कुल-42 (बेयालिस) दिन मातृत्व (गर्भपात) अवकाश के रूप में (बिहार सेवा संहिता के नियम-220 (घ) टिप्पणी 1(i) के आलोक में)
ii.	दिनांक-16.03.2025	- देय अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-48/2025- 50(2) पटना, दिनांक 09/01/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/डा० (श्रीमती) अनुपमा कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wannan 71126
सरकार के अवर सचिव